संख्या- 34/2025/242/35-4-2025/35-4099/114/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च , 2025

विषय – जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक, रहसैना, बिलासपुर हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं0- 5/2021/26/35-4-2021, दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र, बिलासपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, रहसैना, बिलासपुर, रामपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 1872.09 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 468.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0- 554/2021/2533/35-4-2021, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 468.02 लाख एवं शासनादेश सं0- 442/2022/1578/35-4-2022/001-35-4099/114/2022, दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 468.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अब तक रू0 1404.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, रामपुर के पत्रांक- 1355/त्व०आ०वि०यो०/2023-24, दिनांक 11.11.2024 एवं पत्रांक- 559/त्व०आ०वि०यो०/2023-24/कार्य-67/06, दिनांक 04 मार्च, 2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं टेन्डर/ बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

3- उक्त के क्रम में एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए तथा DG सेट हेतु स्वीकृत धनराशि को छोड़कर अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 388.85 लाख (रूपये तीन करोड़ अट्ठासी लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

राजकीय पॉलीटेक्निक, रहसैना, बिलासपुर, रामपुर के भवन निर्माण कार्य	1872.09 (12%जी0एस0टी0 सहित)	1797.59 (12%जी0एस0टी0 सहित)	1404.06	388.85

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 व दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, रामपुर के उक्त पत्र दिनांक 04.03.2025 के साथ संलग्न परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में अंकित तालिका के क्रमांक- 8 में यह इंगित किया गया है कि 50 KVA DG SET हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 4.68 लाख एवं टेण्डर की धनराशि रू0 4.68 लाख है, जबकि पी०एफ०ए०डी० द्वारा DG SET 125 KVA हेतु धनराशि रू0 4.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। DG सेट की क्षमता 125 KVA से 50 KVA किए जाने एवं धनराशि में बदलाव नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या/औचित्य सहित माँग पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5 - परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी0एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण करने हेतु जी0एस0टी0 मद में रू0 59.07 लाख एवं मिट्टी भराई हेतु रू0 55.17 लाख, अर्थात रू0 114.24 लाख धनराशि की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में समस्त सुसंगत अभिलेख सहित माँग पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी0एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में अंकित तालिका के क्रमांक- 7 में इंगित किया गया है कि वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु० 10.00 लाख स्वीकृत है एवं टेन्डर कॉस्ट रु0 3.88 लाख है। उक्त हेतु PFAD के मूल्यांकन के बिन्दु सं0- 11 में उल्लिखित है कि 'प्रश्नगत प्रायोजना बाह्य विद्युत संयोजन मद में रु0 10.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। प्रभाग द्वारा यथावत अनुमन्य किया गया है। इस मद हेतु विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगा।' प्रकरण में विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से प्राप्त आगणन शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, यद्यपि शासन द्वारा उक्त हेतु वांछित धनराशि रु0 3.88 लाख को हस्तगत वित्तीय स्वीकृति में समाहित कर लिया गया है। उक्त के आलोक में प्रश्नगत आगणन जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 388.85 लाख (रूपये तीन करोड़ अट्ठासी लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 42020210403030 2 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 34/2025/242(1)/35-4-2025/35-4099/ 114/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त मुरादाबाद ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ0प्र0 ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोमतीनगर, लखनऊ
10. मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर ।
11.मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रामपुर ।
13. परियोजना प्रबंधक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट मुरादाबाद।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।